राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 779/2012/भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–'सी', उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स फैशन शूटिंग प्रा0 लि0, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सी, उदयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 142/वैट/10–11/ में पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् पारित आदेश दिनांक 02.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है एवं कर के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से रेनकोट की खरीद के पश्चात् परिवहन के दौरान घोषण पत्र वैट–47 संलग्न नहीं होने से एवं परिवहनित माल को प्लास्टिक गुडस मानते हुए वैट नियम 2006 के नियम 53 के अधीन अधिसूचित वस्तु मानकर घोषणा पत्र की अनिवार्यता के बावजूद इसके अभाव में अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया एवं माल पर 14 प्रतिशत की कर दर से कर भी आरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर आदेश दिनांक 01.12.2011 से आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया एवं कर दर पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल रेनकोट एक प्लास्टिक गुड्स होने से वैट नियम 53 के अनुसार अधिसूचित वस्तु होने से परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट 47

लगातार.....2

अनिवार्य है परन्तु व्यवहारी द्वारा माल का परिवहन बिना घोषणा पत्र के किया जा रहा था अतः आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया जाना अविधिक होने से अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत है क्योंकि परिवहनित माल प्लास्टिक गुड्स की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि उनका परिवहनित माल प्लास्टिक का सामान नहीं था बल्कि वह एक वस्त्र के रूप में पानी से बचाने के लिए पहनने के रूप में काम में लिया जाता है अतः यह रेडीमेड गारमेण्ट है एवं अधिसूचित वस्तुओं की प्रविष्टी संख्या 30 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षीय बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में विवाद का बिन्दु मात्र यह है कि रेनकोट जो कि किसी व्यक्ति द्वारा पहनने के लिए उपयोग में आता है जिससे पानी से बचाव किया जा सकता है जो एक वस्त्र के रूप में ही जाना जाता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित विवेचन के साथ में यह अवधारित किया है कि नियम 53(1) के तहत् प्लास्टिक गुड्स की व्याख्या के लिए अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्ट संख्या 159 के विश्लेषण पर रेनकोट को प्लास्टिक गुड्स की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत होने से इसकी पुष्टि की जाती है।

7. फलतः अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

16/2/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य